न्यायालय उप जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

मुकदमा नंबर 96/2007 प्रार्थना पत्र 136एल0आर0एक्ट तारीख रजू

उनवान 21–06–2007

1–फतेहसिंह पुत्र सगत सिंह जाति राजपूत ,(मृतक) निवासी मां फार्म रणणथम्भोर रोड सवाई माधोपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर
1/1 –श्रीमति खेमकंवर पत्नि श्री फतेह सिंह राठौड
1/2 जया सेंगर
1/3 पद्मनी राठौड
1/4 गोवर्धनसिंह राठौड पिसरान फतेहसिंह राठौड निवासी मां फार्म रणणथम्भोर रोड सवाई माधोपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर

बनाम –प्रार्थीगण

1–सचिव नगर विकास न्यास ,यू0आई0 टी0 सवाई माधोपुर
2– तहसीलदार, लैण्ड होल्डर सवाई माधोपुर

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भूराजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 20-05–2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय में पेश किया गया। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण मां फार्म रणथम्भोर रोड माधोसिंहपुरा के निवासी है एवं प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात खसरा नंबर 623/9 रकबा 2 बीघा भूमि वाके ग्राम शेरपुर में जरिए रजिस्ट्री विक्रय पत्र खरीदी थी ,जिसका नामान्तकरण संख्या 54 है , जो प्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज हो चुका है और उक्त आराजी पर आज भी प्रार्थीगण काश्त करते चले आ रहे है । यह कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बंदोवस्त कार्यवाही के दौरान पुराने खसरा नंबर 623/9 रकबा 2 बीघा के नये खसरा नंबर 949 बने जिसका रकबा 0.51हैक्टेयर है , जिस पर रजिस्ट्री व नामान्तकरण खसर नंबर 623/9 रकबा खुला तब से आज दिन तक निरतंर काबिज चले आ रहे है।जबकि सहवन से प्रार्थीगण की खातेदारी को सिवायचक दर्ज कर दी है । प्रार्थीगण ने विक्रय पत्र द्वारा जमीन खरीद कर नामान्तकरण खुलवाया है और आज भी प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है । प्रार्थीगण के पुराने खसरा नंबर 623/9का मिलान क्षेत्रफल में खसरा नंबर 949 रकबा 0.51है0 है । खसरा नंबर 949 प्रार्थीगण क नाम के स्थान पर सिवायचक दर्ज हो गया है । इस कारण नये खसरा नंबर 949 को प्रार्थीगण के नाम दर्ज की जानी आवश्यक है । प्रार्थी ने 2बीघा भूमि खरीदी थी , जिसके नये खसरा नंबर 949 का रकबा भी समान है । अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थीगण का पुराना खसरा नंबर 623/9 रकबा 2बीघा व नये मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा नंबर 949 रकबा 0.51है0 सिवायचक दर्ज है । अतः विक्रयशुदा जमीन को रिकार्ड अनुसार दुरुस्त कर प्रार्थीगण के नाम दर्ज करवा कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे ।

4

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार को नोटिस जारी कर प्रकरण में विवादित आराजीयात की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । मुताबिक रिपोर्ट ग्राम शेरपुर के साबिक खसरा नंबर 623/9 रकबा 2बीघा बारी 3 नामान्तकरण संख्या 54 से फतेहसिंह पुत्र सगत सिंह राजपूत साकिन दे हके नाम खातेदारी स्वीकार हुई । साबिक खसरा नंबर 623/9 रकबा 2बीघा के हाल खसरा नंबर 949रकबा 0.51है0 किस्म चाही 3 बने है जो ग्राम शेरपुर में सिवायचक लगानी दर्ज रिकार्ड है जिनका रकबा भी समान है। मौके के अनुसार उक्त खसरा नंबर प्रार्थीगण का शुरू से कब्जा चला आ रहा है है तथा कोई विवाद नही होना बताया है ।

हमने उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया ।पत्रावली में उपलब्ध राजसव रिकार्ड का अवलोकन किया । जमाबंदी सम्वत 2036–39 के खाता संख्या 169में दर्ज खसरा नंबर 623/9 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम शेरपुर की खातेदारी भोरया पुत्र गोपी जाति माली के नाम दर्ज हो रही है । जो जरिये नामान्तकरण संख्या 54 दिनांक 28–12–96 से उक्त आराजीयात की खातेदारी फतेहसिंह पुत्र सगतसिंह के नाम स्वीकार हुई है । जिसका नोट जमाबंदी सम्वत 2041–44 वाके ग्राम शेरपुर के खाता संख्या 171 में दर्ज हो रही है । मिलानक्षेत्रफल सम्वत 2058–77 वाके ग्राम शेरपुर के अनुसार साबिक खसरा नंबर 623/9 रकबा 2बीघा के नवीन खसरा नंबर 949 रकबा 0.51है0 बने है जिसकी खातेदारी जमाबंदी सम्वत 2060–63 के खतोनी संख्या 1 की अनुसार उकत खसरा नंबर 949 रकबा 0.51हे0 सिवायचक लगानी दर्ज हो रही है । इस प्रकार पुराने नंबर 623/9 की खातेदारी फतेहसिंह के नाम दर्ज हो रही है । जो भूप्रबन्ध के दौरान नवीन खसरा नंबर उक्त खसरा नंबर के 949 बनाये है व प्रार्थी फतेहसिंह के नाम खातेदारी दर्ज होनी चाहिये थी जो सहवन से सिवायचक लगानी दर्ज हो गई । उक्त नवीन खसरा नंबर 949 वाके ग्राम शेरपुर वर्तमान में नामान्तकरण संख्या 425 दिनांक 24–8–18 से नगरविकास न्यास सवाई माधोपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है । तहसीलदार सवाई माधोपुर की रिपोर्ट के अनुसार हाल खसरा नंबर 949 पर प्रार्थीगण का ही कब्जा चला आ रहा है । मौका स्थिति से कोई विवाद नही है । इस प्राकर दस्तावेज राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध करने में सफल रहे है ।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेशित किया जाता है कि नामान्तकरण संख्या 54 वाके ग्राम शेरपुर दिनाक 26–12–98 का अमल नवीन जमाबंदी में करते हुए पुराने खसरा नंबर 623/9 से बने नवीन खसरा नंबर 949 की खातेदारी फतेहसिंह के वारिसान के नाम दर्ज करते हुए नामान्तकरण संख्या 54 का नियमानुसार अमल करें ।

निर्णय आज दिनांक20–05–2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
सत्यमेव जयते

(रघुनाथ)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Raghunath
Date: 2019.11.14 16:19:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: